फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली जिला उदयपुर

प्रार्थी :–**सुनिता मेहता** विपक्षी :– **रतनसिंह राजपूत**

किस्म मुकदमा :– 53 आरटीएक्ट पत्रावली संख्या :– **176/24 वाद**

जीसीएमएस नम्बर :–**2024/397**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक : 19.02.2026 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी उपस्थित। तहसीलदार मावली की रिपोर्ट प्रस्तुत हो चुकी है। अधिवक्ता वादी की बहस सुनी गई। तहसीलदार घासा द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया की वादी एवं प्रतिवादीगण को मौके पर उपस्थित रहने हेतु जरिये सूचना पत्र सूचित किया गया। मौके पर प्रतिवादीगण उपस्थित हुए। प्रकरण में विवादित आराजी नम्बर 592, 593, 595 में से आराजी नम्बर 592 रकबा 0.0324 हैक्टेयर एवं आराजी नम्बर 593 रकबा 0.0324 पर मकान व बाड़ा बने हुए है। मौके पर उपस्थित प्रतिवादीगण द्वारा बताया गया की आराजी नम्बर 592, 593 पर मकान व बाड़ा उनके बने हुए है। वादी का मकान आराजी नम्बर 594 में बना हुआ है। इसमें वादी का स्वामित्व/खातेदार नही है। जमाबन्दी अनुसार आराजी नम्बर 595 का रकबा 0.1295 हैक्टेयर है। किन्तु खसरा नक्शा में उक्त आराजी का आकार छोटा है तथा इसका रकबा लगभग 0.0300 हैक्टेयर ही है। जो की वादी के हिस्से की भूमि 0.0647 हैक्टेयर के बराबर भी नही है। यदि आराजी नम्बर 1295 में वादी को उसके स्वामित्व अनुसार 0.0647 हैक्टेयर भूमि बंटवाड़े में दी जाती है तो नक्शे में आराजी नम्बर 1295 का आकार छोटा होने से तरमीम नही की जा सकती है। आराजी नम्बर 592 एवं 593 क्रमशः रकबा 0.0324 हैक्टयर है जिसका आकार खसरा संख्या नक्शा जमाबन्दी में अंकित क्षेत्रफल अनुसार ही है। अतः इन्हें भी तरमीम कर छोटा बड़ा नही किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में डिक्री की पालना नहीं की जा सकती है। न्यायालय का विनम्र अभिमत है की प्रकरण में दिनांक 07.10.2024 को एकपक्षीय प्रारम्भिक डिक्री जारी की गई थी। तहसीलदार द्वारा मौके पर विभाजन प्रस्ताव तैयार करते हुए जाहीर आया की वादग्रस्त आराजी नम्बर 592, 593 पर कब्जा प्रतिवादीगण का है एवं आराजी नम्बर 593 के रकबे अनुसार राजस्व नक्शा नही है। आराजी नम्बर 593 का नक्शा छोटा होने से तरमीम किया जाना संभव नही बताया गया। ऐसे में आराजी नम्बर 593 की तरमीम जमाबंदी में दर्ज रकबे अनुसार नही हो जाती है तब तक वादग्रस्त भूमि का बंटवारा किया जाना संभव नही है। वादग्रस्त भूमि का	

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.04.16 16:53:35 IST
Reason: SelfAttested

बंटवाड़ा करवाने से पूर्व वादी को सक्षम अधिकारी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर तरमीम सही करवानी होगी। ऐसे में इस वाद को जारी रखने का कोई औचित्य नही है। इसलिए वादग्रस्त भूमि के संबंध में विभाजन का नया वाद प्रस्तुत करने के अधिकारो को सुरक्षित रखते हुए खारिज किया जाना उचित है। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर विभाजन का नया वाद प्रस्तुत करने के अधिकारो को सुरक्षित रखते हुए वाद वादी इस स्तर पर ड्रोप किया जाकर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय खुले न्यायायलय सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.04.16 15:53:35 IST
Reason: SelfAttested